राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 240–पीबीआर / 15 **जिला** इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14–5–2015	आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 13.2.2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक की ओर से मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 35(3) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है। इस सम्बन्ध में आवेदिका द्वारा तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 32 के अंतर्गत इस मुख्यतः इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि अनावेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये, इसलिये नामांतरण आवेदन पत्र निरस्त किया जाये । इस सम्बन्ध में तहसील न्यायालय द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए कि अनावेदक का धारा 35(3) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार करने के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत करना थी, जो नहीं की गई है, इस प्रकार आवेदिका की मौन स्वीकृति है, आवेदिका आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	

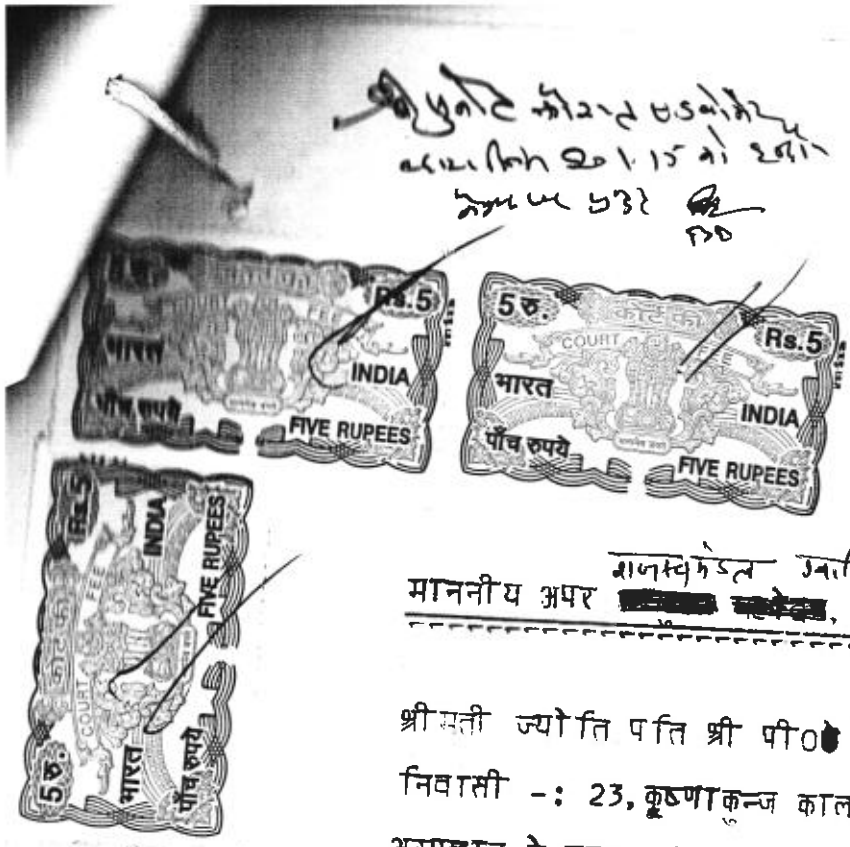

निगरानी 240-PBR-15

निगरानी प्र0क्र0 /2015

प्रस्तुती दिनांक 20-01-2015

माननीय अपर [redacted] के समक्ष।

श्रीमती ज्योति पति श्री पी0[redacted] सी0ममतानी

निवासी -: 23, कृष्णाकुन्ज कालोनी, पुष्पकुन्ज

अस्पताल के पास, खण्डवा रोड इंदौर म0प्र0। --- निगरानीकर्ता

प्रार्थी

21-1-15

विरूद्ध

बेताला हाउसिंग डेवहलपमेन्ट प्रा0लि0

व्दारा : निर्देशक [redacted]

पता न्यू नंबर 142, पुराना नम्बर 44

सुबमनिया मुडलई स्ट्रीट पहली मंजिल

सईद पेट चेन्नई (तमिलनाडु)। ---- प्रतिप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0राजस्व संहिता 1959

निगरानीकर्ता /प्रार्थी के व्दारा यह [redacted] निगरानी माननीय अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय, इंदौर के व्दारा प्रार्थी व्दारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 32 को दिनांक 13-2-14 को निरस्त किये जाने बाबद आदेश पारित किया गया जिससे असंतुष्ट होकर, निम्न व अन्य आधारो पर प्रस्तुत किया जा रहा है:-